## अंतरिम कार्यवाही दिनांक 05.05.2018

मदयून पक्ष के निवेदन पर बाद विचार दर्शित आधार पर प्रकरण न्यायहित में आज स्नवाई में लिया गया।

डिकीदार पक्ष की ओर से श्री गब्बर सिंह गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

मदयून पक्ष की ओर से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। मदयून पक्ष की ओर से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ने डिकीदार पक्ष के अधिवक्ता श्री गब्बर सिंह गुर्जर को इस इजरा प्रकरण में संपूर्ण डिकी धन के वास्ते एकमश्त 390 / - रूपये न्यायालय के समक्ष अदा किये गये एवं डिकीदार पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने संपूर्ण डिकीधन के वास्ते एकमुश्त 390/- रूपये प्राप्त करते हुये स्वेच्छापूर्वक इस इजरा प्रकरण को पूर्ण संतुष्टि में निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः बाद विचार डिकीदार पक्ष के स्वेच्छिक निवेदन पर यह इजरा प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में पूर्व से नियत तिथि निरस्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो। STINE ST

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड